जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 164 प्रभात बीकानेर, शनिवार 4 जनवरी, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

जानबूझकर बाँग्लादेश भारत से दो-दो हाथ करने के लिए मचल रहा है

देर हो उससे पहले भारत को यह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि बाँग्लादेश जिस राह पर चल रहा है, वो भारत के लिए शत्रुतापूर्ण है

- बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मेल-जोल बढ़ा रहे हैं और उन्हें ढाका आने के लिए निमंत्रित किया है।
- पाक विदेश मंत्री इशहाक दार अगले माह के आरंभ तक ढाका जाएंगे। पाकिस्तान, बाँग्लादेश में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है।
- बाँग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा चरम पर है। हिंदुओं के मकान छीने जा रहे हैं। हिंसा के इस दौर में भारी संख्या में हिंदू लापता हैं।
- भारी तादाद में हिंदू ढाका स्थित भारतीय इंडियन काउन्सिल ऑफिस में लाइन लगाए हुए हैं। पर, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को अनुमति दी जा रही है, वो भी मैडिकल इमरजैन्सी होने पर।

-अंजन रॉय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जनवरी। भारत जितनी जल्दी यह स्वीकार कर लेगा कि बाँग्लादेश गंभीर खतरा है उतना ही अच्छा होगा। बाँग्लादेश भारत और भारत के पूर्वी राज्यों के लिए दुश्मन जैसी भाषा बोल रहा है और जिस दिशा में बढ़ रहा है वह कदापि भारत के हित में नहीं है।

बाँग्लादेश ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आमंत्रित किया है जबकि सीमा पर आतंकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस काइरो में पाक विदेश मंत्री से मिले थे और उन्हें बाँग्लादेश आने का न्यौता दिया।

पाक विदेश मंत्री इशहाक दार अगले माह के आरंभ तक ढाका आ सकते हैं। पाकिस्तान-बाँग्लादेश में जिहादी मूवमैंट को प्रोत्साहन दे रहा है और इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

पाकिस्तान भारत में आतंकी संगठनों का विस्तार करना चाहता है और आतंकी हमले करवाना चाहता है। बाँग्लादेश में एक मजबूत बेस और अंतरिम सरकार की मदद से ये संगठन भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।

इस समय बाँग्लादेश की स्थिति काफी संवेदनशील है। मौजूदा प्रशासन कानून अेर व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान नहीं रहा है। भारी अराजकता है, हिंदुओं के साथ भारी हिंसा हो रही है।

इस्कॉन मंदिन के पुजारी कृष्णा दास अभी भी जेल में हैं, जबकि हाल ही में उनके केस की सुनवाई हुई थी। उन्हें जमानत नहीं दी गई है। यहाँ तक कि कृष्णा दास के वकीलों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

अल्पसंख्यकों के दमन के साथ भारी हिंसा का दौर चल रहा है। हिंदुओं की सम्पत्ति पर स्थानीय मुसलमान कब्जा कर रहे हैं।

निरंतर दमन और हिंसा के दौर में स्थानीय हिंदू भारत आने की कोशिश में लगे हैं। हालाँकि, बाँग्लादेश में बने भारतीय दूतावास कार्यालय ने इन्हें भारत में घुसने से रोक दिया है। वर्तमान में एक परिवार से एक ही व्यक्ति भारत आ सकता है, वो भी मैडिकल इमरजैंसी होने पर।

विशेषज्ञों का मत है कि बाँग्लादेश अपनी हरकतों से भारत के साथ युद्ध करने की इच्छा दिखा रहा है।

हाई कोर्ट ने समरावता प्रकरण में 39 आरोपियों को जमानत दी

जयपुर, 3 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट के उप चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम के बीच हुए विवाद के बाद समरावता में हुई हिंसा के मामले में 39 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बलराम व अन्य की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- याचिका में कहा गया कि स्थानीय निवासियों को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है।

जमानत याचिकाओं में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा, महेन्द्र शांडिल्य और कपिल गुप्ता सहित अन्य ने बताया कि याचिका दायर करने वाले स्थानीय निवासियों को राजनीतिक द्वेषता के कारण मामले में फंसाया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर आया है, जबकि याचिकाकर्ताओं पर हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई है। ऐसे में प्रकरण सिर्फ मारपीट का ही बनता है, जबकि एफआईआर में याचिकाकर्ताओं पर स्पष्टतः कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता गत नवंबर माह से जेल में बंद हैं और जांच पूरी होकर ट्रायल समाप्त होने में लंबा समय लगेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली के लिए आपदा बताया

केजरीवाल ने प्रतिउत्तर में कहा, आपदा भाजपा के सामने है, जिसके पास मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा नहीं है

- प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया, हमने गरीबों के लिए चार करोड़ से ज्यादा घर बनाए, पर अपने लिए एक भी मकान नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था।
- आप प्रमख ने प्रधानमंत्री के भाषण पर पलटवार करते हुए भाजपा की केन्द्र सरकार को गरीबों का दुश्मन बताया और कहा, केन्द्र सरकार ने दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ डालीं और 2 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जनवरी। दिल्ली की 70- सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिये भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त कड़वाहट भरी जुबानी जंग छिड़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारुढ़ दल (आप) के 10 वर्ष के शासनकाल को "आपदा" बताते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आप पर पहला प्रहार किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पलटवार करते हुये कहा कि भगवा पार्टी "गरीबों की दुश्मन" है।

केजरीवाल ने कहा कि अपने 43 मिनट के भाषण में, प्रधानमंत्री ने 39 मिनट "दिल्लीवासियों तथा उनके जबरदस्त जनादेश से निर्वाचित दिल्ली सरकार" को भला -बुरा कहा।

अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में अनेक काम किये हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने "ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कर सकें।" शुक्रवार को अशोक विहार रामलीला मैदान में, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आप पर कटाक्ष किया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी पिछले 10 वर्षों में "आपदा" से घिरी रही है।

केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष करते हुये, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किस तरह से गरीबों के लिये 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनवाये लेकिन अपने लिये एक मकान भी कभी नहीं बनवाया। "मैं भी कोई शीशमहल बना सकता था।"

मोदी ने आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर विभिन्न क्षेत्रों में- शिक्षा से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तथा शराब -व्यापार तक -व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

मोदी ने कहा, "एक तरफ, केन्द्र दिल्ली की तरक्की के लिये सार्थक कोशिशें कर रहा है, और दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार झूठ और भ्रष्टाचार के दलदल में फँसी हुई है।"

उन्होंने शराब की बिक्री, स्कूली शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था तथा सरकारी भर्ती से सम्बंधित घोटालों में आप सरकार की कथित लिप्तता का उल्लेख किया।

जन समुदाय को सम्बोधित करते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती में सी.आई.टी.एस. सर्टिफिकेट की अनिवार्यता जरूरी नहीं'

राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाये

- अधिवक्ता रघुनन्दन शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा हजारों पदों पर की जाने वाली इस भर्ती में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया था, परंतु बाद में इसमें रियायत देते हुए नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर यह सर्टिफिकेट पेश करने के आदेश दिए थे।
- अधिवक्ता ने बताया कि राजस्थान व कई अन्य राज्यों में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट नहीं हैं, ऐसे में सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा।

जयपुर, 3 जनवरी (का.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंस्ट्रक्टर के पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों के पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सी.आई.टी.एस.) का सर्टिफिकेट अनिवार्य होने की शर्त पर अंतरिम रोक लगायी है। अदालत ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाये, भले ही किसी के पास यह सर्टिफिकेट हो या ना हो। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने किशोर कुमावत की ओर से दायर रिट याचिका पर यह सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रघुनन्दन शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए।

मामले के तथ्यों के अनुसार, गत सिंतबर 2024 में केन्द्र सरकार ने जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के नियम-प्रक्रिया में संशोधन करते हुए सी.आई.टी.एस. सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लागू किया था। परंतु कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि उनके यहां क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का कोर्स करवाने की कोई व्यवस्था और इंस्टीट्यूट्स मौजूद ही नहीं हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों की मांग को देखते हुए रियायत दी थी। केन्द्र सरकार ने सी.आई.टी.एस. सर्टिफिकेट अनिवार्यता को खत्म करते हुए कहा कि, इस भर्ती प्रक्रिया में काबिल अभ्यर्थी शामिल हों, परंतु नियुक्ति के बाद आगामी 3 वर्षों में उन्हें किसी भी राज्य से यह कोर्स करके सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

गौरतलब है कि राजस्थान में भी सी.आई.टी.एस. कोर्स के कोई इंतजाम नहीं हैं, परंतु राज्य सरकार ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते समय केन्द्र सरकार द्वारा 3 वर्ष में सर्टिफिकेट पेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग सैन्टरों का पंजीकरण केन्द्रीय गाइडलाइन से हो

जयपुर, 3 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा आए दिन आत्महत्या करने से जुड़े मामले में कहा है कि कोचिंग सेंटर्स के लिए केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन के तहत उनका पंजीकरण किया जाए तथा गाइड लाइन में बताए पैरामीटर की पालना भी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान के चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर राज्य सरकार को निर्देश दिये।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार से पूछा कि केन्द्र सरकार की ओर से बनाए गए रेगुलेशन लागू हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है और यह कानून बनने पर ही लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोचिंग सेंटरों के लिए बिल बन चुका है और जल्दी कानून भी बना लिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

2002 के मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

उक्त मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 मई 2024 को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व 4 अन्य को बरी कर दिया था

- हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सी.बी.आई. ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी याचिका पर नोटिस जारी किया।
- इस मामले में मृतक रंजीत सिंह के पिता भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जो जस्टिस बेला त्रिवेदी की बैंच के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. की याचिका भी वहीं भेज दी है।
- ज्ञातव्य है कि 2002 में डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सी.बी.आई. जाँच में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व 5 अन्य को आरोपी पाया गया। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी तथा शेष सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गूरमीत राम रहीम सिंह व चार अन्य को नोटिस दिया है। यह नोटिस सी.बी.आई. द्वारा पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट में 28 मई 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिया गया है। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश में डेरा के पूर्व प्रबंधन रंजीत सिंह की हत्या के आरोप से गुरमीत राम रहीम व चार अन्य को बरी कर दिया था।

गुरमीत राम रहीम व चार अन्य से जवाब मांगते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की खंड पीठ ने सी.बी.आई. की याचिका को पहले से ही शिकायतकर्ता मृतक रंजीत सिंह के पिता द्वारा दायर याचिका के साथ संलग्न करने के निर्देश दिये। मृतक रंजीत सिंह के पिता ने 5 आरोपियों को रिहा करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

बैंच ने मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की बैंच को सौंप दिया जो मृतक के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही है और इस मामले में नोटिस भी जारी कर चुकी है।

मामला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बैंच के समक्ष पोस्ट करते हुए सी.बी.आई. वकील के रुप में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि पूर्व में 9 सितम्बर 2024 को जस्टिस बेला त्रिवेदी और एस.सी. शर्मा की बैंच ने मृतक रंजीत के पिता की सभी जांच आरोपियों की हाईकोर्ट से रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था।

बैंच ने अपने आदेश में कहा कि, हमारा ध्यान 9 सितम्बर 2024 को जस्टिस बेला त्रिवेदी की बैंच द्वारा पारित आदेश पर दिलाया गया, इसलिए नोटिस जारी करने के बाद इस याचिका को जस्टिस त्रिवेदी के समक्ष लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया जाए।

हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर जिसमें 5 आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, को पलट दिया था और रिहा कर दिया था।

गुरमीत राम रहीम के साथ के अन्य चार आरोपी अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई थी एक आरोपी इंदर सेन की ट्रायल के दौरान 2020 में मौत हो गई थी।

डेरा मैनेजर रणजीत सिंह 10 जनवरी, 2002 को जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अपने पैतृक गाँव में अपने खेतों में काम कर रहा था, तब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

10 नवम्बर 2003 को, उच्च न्यायालय ने इस केस की सी.बी.आई.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनमोहन सिंह की स्मृति में अखंड पाठ का आयोजन

नयी दिल्ली, 03 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की स्मृति में उनके आवास पर अखंड पाठ रखा गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी सहित, कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया और डॉ सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- खड़गे और सोनिया गांधी भी अखंड पाठ में शामिल हुए।

डॉ सिंह के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में खरगे और गांधी के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।

कांग्रेस पार्टी ने डॉ सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी यादें हमेशा सबके दिल में रहेंगी और उनकी सादगी, सरलता और आदर्श सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन में एक और वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ा, सबसे ज्यादा खतरा बच्चों में

चीन के उत्तरी प्रांत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है

- ह्यूमन मैटान्यूमोवायरस (एच.एम.पी.वी.) सांस संबंधी परेशानियाँ पैदा करता है। जैसे इसके लक्षणों में हल्की खांसी, जुकाम, बुखार से लेकर तेज खांसी व निमोनिया तक शामिल हैं।
- नियमित रूप से हाथ धोकर और संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर इस रोग से बचा जा सकता है।
- एच.एम.पी.वी. नया वायरस संक्रमण नहीं है। भारत सहित पूरी दुनिया में अन्य वायरस संक्रमण के साथ एच.एम.पी.वी. संक्रमण फैलता है।
- कोविड-19 महामारी से पहले और महामारी के दौरान भारत में हुए एक अध्ययन में अन्य वायरस के साथ-साथ एच.एम.पी.वी. संक्रमण के केस भी मिले थे।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जनवरी। क्या शुरुआत हुई है नए वर्ष की। चीन के उत्तरी प्रांतों में ह्यूमन मैटान्यूमो वायरस (एच.एम.पी.वी.) रैस्पिरेटरी (सांस संबंधी) इन्फैक्शन में तेजी, खासतौर पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, को लेकर विश्वभर में चिंता की लहर दौड़ गई है।

एपिडीमिऑलजिस्ट (महामारी विद्) के अनुसार, एच.एम.पी.वी. एक ज्ञात रैसपिरेटरी वायरस है, जिसके लक्षण सामान्य जुकाम की तरह होते हैं और यह चीन तथा विश्व के लिए नया नहीं है। निवारक उपायों में, नियमित रूप से हाथ धोना, संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखना तथा श्वास स्वच्छता बनाए रखना मुख्य हैं।

हालांकि, चीन में कितने केस सामने आए हैं इसकी संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन, एच.एम.पी.वी. केसों में बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य सेवा की क्षमता को लेकर चिताएं पैदा कर दी हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों में भीड़ बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं।

भारत में एच.एम.पी.वी. अन्य वायरस के साथ फैलता है। भारत में कोविड 19 महामारी से पहले तथा महामारी के दौरान रैसपिरेटरी वायरस के प्रसार का अध्ययन करने वाले एक अध्ययन में, अन्य वायरस के साथ-साथ एच.एम.पी.वी. की उपस्थिति का उल्लेख किया गया। हालांकि, भारत में एच.एम.पी.वी. केसों का हाल का डेटा सीमित है।

लेकिन इसके बारे में चिन्ता करना जरूरी है। यह वायरस बच्चों, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड तथा अधेड़ लोगों के श्वसन तंत्र में तीव्र संक्रमण का एक बड़ा कारण है। संक्रमित लोगों तथा वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने से यह वायरस हस्तान्तरित होता है। बुखार, गले में खराश, खाँसी, सांस लेने में कठिनाई तथा घबराहट, हाइपोक्सिया, ब्रॉन्काइटिस तथा निमोनिया एच.एम.पी.वी. संक्रमण के मुख्य लक्षण हैं।

अध्ययनों से पता चला है कि पूरी दुनिया में पाँच साल तक की उम्र के अधिकांश बच्चे एच.एम.पी.वी. से संक्रमित हैं। शिशुओं सहित, पाँच साल के कम उम्र के बच्चे, पुरानी बीमारियों, खासतौर से अस्थमा, साइस्टिक फाइब्रोसिस या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा

नई दिल्ली, 03 जनवरी। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अलका के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। मौजूदा समय में आतिशी कालकाजी से विधायक हैं। वह पार्टी की प्रमुख महिला चेहरा हैं।

- नये साल पर कालकाजी मंदिर पर पूजा के बाद से ही अलका लांबा के यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)